to connect the large villages to main-transportation line which would accelerate rural development;

(c) whether there is any proposal to connect Sukai village of Bironkhal Block, Thailisain Tehsil of Pauri Garhwal to main transportation line under rural development programme; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (d) Roads is a State subject. The State Governments are responsible for the construction and maintenance of roads for which the Planning Commission allocates funds under the State Plan. The Government of India does not minitor the village-wise coverage of raod connectivity. It also does not deal with individual proposals. Funds allocated by the Planning Commission under the State plan for construction and maintenance of roads can be used by the State Governments to make plans and apportion such funds allocated for construction and maintenance of roads.

ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए धनराशि

2444. **श्री गोविन्द राम मिरी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के लिये प्राथमिकता के आधार पर कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कुल बजट आबंटन का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या अब तक किन्हीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क) और (ख) विभिन्न ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों के लिए 1998-99 में केन्द्रीय योजना हेतु बजटीय सहायता 12765.71 करोड़ रुपये है। केन्द्रिय योजना हेतु यह राशि कुल बजटीय सहायता का 30.06% है।

(ग) और (घ) वाटरशेड आधार पर वर्षा वाले क्षेत्रों का विकास, ग्रामीण ऋण तथा ग्रामीण ढांचा, स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देना, कृषि सामग्री का उत्पादक, उनका विपणन तथा परिवहन से संबंधित नियम और कानून, ग्रामीण आवास, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार के दो विस्तृत वर्गों के अंतर्गत गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का एकीकरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2445. **श्री रमा शंकर कौशिक :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰ आर॰ डी॰ पी॰) के अन्तर्गत जारी वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्ति के लिए निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं; और

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहायता राशि को समुचित उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान रिलीज की गई राज्यवार केन्द्रीय निधियां विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने संबंधी निबंधन और शर्तें नीचे दी गई हैं:

केन्द्र द्वारा निधियां दो किस्तों में जारी की जाती हैं। ठंडे एवं बर्फ आच्छादित जिलों अर्थात् लाहोल और स्पीति, लेह और कारगिल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में, जहां कार्यावधि कुछेक महीनों तक ही सीमित है, वहां सहायता का संपूर्ण केन्द्रीय अंश एक ही किस्त में जारी किया जा सकता है। इन रिलीजों के अनुरूप राज्यों द्वारा राशि रिलीज की जानी चाहिए।

यदि पिछले वर्ष दूसरी किस्त किसी शर्त के बिना रिलीज की गई हो तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुए बिना ही पहली किस्त जारी की जा सकती है। केन्द्रीय निधियों की दूसरी किस्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अनुरोध पर